ले गये थे बाद में उन्हें 3,200 रुपये की फिरौती पर रिहा कर दिया गया था ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा संभरण मंत्री (श्री हाथी): (क) यह स्पष्ट नहीं हुआ कि कौनसी घटनाओं की ओर संकेत है । अस्तु अप्रैल, की उन दो घटनाओं का ब्यौरा नीचे दिया जा रहा है जो हमारे ध्यान में आई ।

15 अप्रैल, 1966 को 25 नागा विद्रोहियों के एक दल द्वारा मनीपुर के उखल सब-डिवीजन, में दो ग्रामीणों का अपहरण किया गया । उन्हें 3,000 रुपये की फिरौती प्राप्त होने पर छोड़ दिया गया ।

20 अप्रैल, 1966 को 25 नागा विद्रोहियों के एक दल ने मनापुर के सदर सब-डीवीजन में 11 ग्रामीणों का अपहरण किया । उन में से प्रत्येक को 100 रुपये की फिरौती लेकर छोड़ा गया ।

(ख) पुलिस द्वारा मामले दर्ज कर लिए गये हैं और उनकी जांच हो रही है ।

विदेशी शराब का पकड़ा जाना

357. **श्री रामेश्वरानन्द :**
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री रघुनाथ सिंह :

क्या **गृह-कार्य-मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यह सच है कि भ्रष्टाचार निरोधक विभाग ने 27 अप्रैल, 1966 को लगभग छः हजार रुपये की लागत की विदेशी शराब पकड़ी थी जैसा कि दिनांक 30 अप्रैल, 1966 के "हिन्दुस्तान" समाचार पत्र में प्रकाशित हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) (क) और (ख). 30 अप्रैल, 1966 के हिन्दुस्तान में प्रकाशित समाचार का सम्बन्ध एक ऐसे मामले से है जिसका मुख्यतः महाराष्ट्र सरकार से सम्बन्ध है, और भारत सरकार के पास इस बारे में कोई सूचना नहीं है ।

दिल्ली में हौज काजी के डाकघर में जालसाजी

358. **श्री रामेश्वरानन्द :**
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री रघुनाथ सिंह :

क्या **संचार** मंत्री 11 मई, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5378 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हौज काजी डाकघर से 9,600 रुपये की गायब राशि के मामले में चल रही जांच पूरी हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

संसद-कार्य विभाग तथा संचार विभाग में राज्यमंत्री (श्री जगन्नाथ राव): (क) तथा (ख). विभागीय पूछताछ का काम पूरा हो चुका है, लेकिन पुलिस की जांच अभी भी जारी है । पुलिस द्वारा अभी तक कोई भी गिरफ्तारी नहीं की गई है । विभागीय पूछताछ के दौरान अपराधी का कोई सुराग नहीं मिल सका है ।

(ग) जिस क्लर्क के संरक्षण में नकदी गुम हुई थी, अनुशासनिक कार्रवाई होने तक उसकी सेवायें निलम्बित कर दी गई हैं ।